265/3.0

संख्या–1664/XVI(1)/17/5(27)/2014

प्रेषक,

डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक– 15 नवम्बर, 2017**

विषयः– हल्दी बीज की अतिरिक्त आपूर्ति के सापेक्ष क्रय करने की कार्योत्तर, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–197/उद्यान/2017–18, दिनांक–03 जुलाई, 2017 एवं पत्रांक–316/उद्यान/2017–18, दिनांक–18 सितम्बर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–307/XVI-1/16/5(27)/2014, दिनांक–28 मार्च, 2017 के माध्यम से वर्ष 2016–17 में हल्दी बीज हेतु आमंत्रित विभागीय ई–निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर हल्दी बीज प्रजाति स्वर्णा की 1606 कुन्तल की मात्रा रू0 2140.00 प्रति कुन्तल(समस्त करों सहित) एवं हल्दी बीज प्रजाति पंत पिताब की 80 कुन्तल की मात्रा दर रू0 2400.00 प्रति कुन्तल अर्थात् कुल 1686 कुन्तल हल्दी बीज (समस्त करों सहित) मै0 एम0एम0सेल्स (बाराद्वारी) पारट्टा बाजार, हाथरस, उत्तर प्रदेश से क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपदीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी मॉग के आधार पर हल्दी बीज स्वर्णा की न्यूनतम दर रू0 2,140/– प्रति कुन्तल की दर से 189.10 कुन्तल हल्दी बीज स्वर्णा हेतु रू0 4,04,674/– एवं पंत पिताब की न्यूनतम दर रू0 2400/– प्रति कुन्तल की दर से 40.00 कुन्तल क्रय किये जाने हेतु रू0 96,000/– समग्र रूप से कुल धनराशि रू0 5,00674/– (रू0 पॉच लाख छः सौ चौरहत्तर मात्र) अतिरिक्त क्रय हल्दी बीज की कार्योत्तर, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने की निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त स्वीकृति विगत वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प्रदान की जा रही है। अतः इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–307/XVI-1/16/5(27)/2014, दिनांक–28 मार्च, 2017 में इंगित निर्धारित समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः——2

2– उक्त बीज आपूर्ति हेतु सम्बन्धित जनपदों की अतिरिक्त मॉग का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

3– प्रस्तावित कार्योत्तर स्वीकृति अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन तथा सुसंगत नियमों के आलोक में प्रदान की जाती है।

4– भविष्य में निर्धारित समयान्तर्गत औद्यानिक निवेशों की मॉग की प्रस्तुत की जायेगी।

5– हल्दी बीज आपूर्ति की गुणवत्ता का विशेष का ध्यान रखा जायेगा।

6– यदि भविष्य में इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की अनियमितता पायी अथवा कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में लाया जाता है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक उद्यान एवं विभागीय स्तर पर गठित समिति की होगी।

भवदीय,

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।

संख्या–1664 (1)/XVI(1)/17/5(27)/2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. व्यय वित्त नियंत्रण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
5. ✓ निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव।